

IV 22/2012


भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTT

H

Y 061128



12/07/12

शिवशक्ति फाउंडेशन

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास आज दिनांक 12-07-2012 को सैदपुर गाजीपुर में हीरा सिंह यादव पुत्र श्री शिव प्रसाद सिंह यादव निवासी ग्राम - महरूमपुर विकास खण्ड सैदपुर व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर उ० प्र० द्वारा घोषित किया गया ।

जिन्हें आगे न्यासकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता / संस्थापक पर रुपया 5000/- (पांच हजार रुपये मात्र) की राशि है । जिसे की वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं । न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सराहणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट शिवशक्ति फाउंडेशन के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे की आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा ।

क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे की आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा । न्यासकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न स्रोतों से दान उपकार ऋण आदि भी सम्मिलित है जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष संपदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/- (पांच हजार रुपये) की नगद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है ।

(1)

हीरा सिंह यादव

क्रमशः2

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

W 810029

वर्तमान में ट्रस्ट का संशोधित पंजीकृत कार्यालय महारूमपुर, सैदपुर, विकास खण्ड सैदपुर, व तहसील सैदपुर, जिला- गाजीपुर रहेगा एवं प्रशासनिक कार्यालय सैदपुर, विकास खण्ड - सैदपुर व तहसील- सैदपुर, जिला - गाजीपुर होगा, अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने पर उस कार्यालय का समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

क्योंकि न्यासकर्ता / ट्रस्टी अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

शिवशक्ति फाउंडेशन

(इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

उद्देश्य एवं नियमावली

ट्रस्ट के उद्देश्य :- ट्रस्ट नियम उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

1. बिना लिंग भेद किये सबके लिये प्राथमिक पाठशाला, जूनियर हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, बुढ़ाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना करना, नामकरण, विकास सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्धन, संचालन आदि कर सकता तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, स्थानों, शासन से मान्य सम्बद्ध, आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकता।
2. ग्राम विकास अभिकरण गतिविधियों का संचालन करना।
3. खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की योजनाओं का संचालन करना।

(2)

हीरोलिनद्वारा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 061130

- 4 - कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोक कर जल संरक्षा एवं नदी संरक्षण करना
- 5 - उद्यानीकरण एवं जंगलात का विकास करना ।
- 6 - महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना ।
- 7 - प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना ।
- 8 - कृषि संगीत संबन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उनके विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना ।
- 9 - केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन समाज कल्याण नाबार्ड कपार्ट सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड महिला कल्याण नेहरू युवा केन्द्र खेलकुद युवा कल्याण ग्राम विकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्यक्रम का संचालन करना ।
- 10 - आई०आई०टी०, आई०टी०आई, फार्मसी, नर्स, ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्निशियन, लैब टेक्निशियन, फिजियोथेरेपी, आदि मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना
- 11 - समाज के लोगों के लिए हास्टिल नर्सिंग होम स्वास्थ्य केन्द्र मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर किराना की दुकान, फोटोस्टेट, कम्पनी, फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना ।
- 12 - पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र/पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों इत्यादि का प्रकाशन मुद्रण, बिक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना ।
- 13 - अन्धे गूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा चिकित्सा, आवास, भेजन, इत्यादि की व्यवस्था करना ।

हीराचिंह्यादव

(3)

क्रमशः4



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 061232

- 14 - विभिन्न विषयों एवं पाठ्यक्रमों तथा व्यवहारिक प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, फ़िज़ा, मार्शल आर्ट संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा अंग्रेज़ी, उर्दू, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तरीय शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना ।
- 15 - विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन आवास आदि संविधाओं का व्यवस्था करना ।
- 16- प्रस्तकों साहित्य पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण वितरण आदि कर सकना ।
- 17 - सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यावरण कार्यक्रम एड्स कार्यक्रम अधिवेश, गोष्ठियों, सम्मेलन प्रतियोगिताएं बैठकें विशेष कक्षाएं सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना ।
- 18- सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रिन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा एवं व्यवस्था करना ।
- 19- व्यक्ति विशेष अन्य सोसायटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधी महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट में समायोजित कर सकना ।
- 20 - ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रिय हेतु अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थाओं व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना ।
- 21 - विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना ।
- 22 - आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार-प्रसार कर सकना ।

हिरासिंह यादव

(4)

क्रमशः5



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 061125

- 23 - कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार-प्रसार कर सकना ।
- 24 - पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना ।
- 25 - एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार - प्रसार कर सकना ।
- 26 - पुस्तक, पुस्तिकाएँ पत्र, पत्रिकाएँ समाचार -पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित वितरित विक्री कर सकना ।
- 27 - ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मुल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना ।
- 28 - पत्राचार द्वारा अध्यापन, अध्ययन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सविधित आवश्यक व्यवस्थाएँ कर सकना ।
- 29 - उपभोक्ता अधिकार, पर्यावरण सुधारी, उसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषय पर चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना ।
- 30 - धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोधर कर सकना ।
- 31 - जन कल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना ।
- 32 - विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति हेतु पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता , स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना ।

(5)

हीरासिंध्याद्व

क्रमशः6



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


Y 061127

- 33 - विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विधी महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजिनियरिंग कालेजों टेक्निकल कालेजों, प्रतिष्ठानों के विशेषधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना ।
- 34 - ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में बृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना ।
- 35 - ट्रस्ट जन सामान्य के द्वितिय कार्य करेगा । ट्रस्ट तथा सम्भव अपनी सेवाएँ/वस्तुएं लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा । ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क खडंजा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना ।
- 36 - ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा । जनकल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा ।
- 37 - ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु ही व्यय करेगा ।
- 38 - किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पाली क्लिनिक का निर्माण करना ।
- 39 - किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना । फल एवं औषधि खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किए गये माल का आयात व निर्यात करना ।
- 40 संगठन को मजबूत एवं कियाशील बनाने के लिए जिला प्रदेश देश पर पदाधि कारियों का चयन करना एवं अधिकार देना

(6)

हीरासिंह यादव

क्रमशः7



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 061126

- 41- दलित पिछडो अल्प संख्यको का संगठन बनाकर समाज मे फैली बुराइयो को दूर करना एवं सामाजिक स्तर राजनौतिक स्तर आर्थिक स्तर को मजबूत बनाना ।
- 42 - धरना, प्रदर्शन, कार्यक्रम, गोष्ठी, सम्मेलन, सेमिनार वार्षिक अधिवेशन के माध्यम से अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाना ।
- 43 - शिक्षण व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हास्टलो का निर्माण करना ।
- 44 - सेक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण देना तथा उनको रोजगार उपलब्ध कराना ।

प्रारम्भिक उपबन्ध -

- 1- वर्तमान मे ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से हीरा सिंह यादव जो कि न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्ट अध्याक्ष सुनिश्चित किया जाता है ।
- 2- यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष हीरा सिंह यादव द्वारा रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय जो हीरा सिंह यादव की मृत्यु के पश्चात उनके सबसे बड़े लडके इस ट्रस्ट के ट्रस्टी होंगे ।
- 3- वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारी को स्थानान्तरित कर सकते है ।

मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष पर का उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :-

- 1- मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने काल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें ।

(7)

हीरा सिंह यादव

क्रमशः8

- 2- मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अपने जीवन में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है ।
 - 3- किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का पद बनते ही वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगे तो इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष के प्रदत्त किये गये ।
 - 4- मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष पद पर आसिन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी की ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष बनेगा । कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अनियम की व्यवस्थाओ से मार्ग दर्शन प्राप्त किया जा सकता है ।
 - 5- कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष को चाहिए की वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर कर के व्यक्त कर दे । मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहा रजिस्टर्ड करा के अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी सुनिश्चित कर सकता है । इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यलय मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गई वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी ।
 - 6- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा ।
 - 7- कार्यलय मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है, जब तक कि वास्तविक रूप से कार्य भार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें ।
 - 8- कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया । कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारो सहित पूर्ण माना जायेगा ।
- 4- बोर्ड आफ ट्रस्टीज-**
- 1- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयो पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन क सकता है । जिसमें कि अधिकतम इक्कीस सदस्य होंगे ।
 - 2- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करने समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए ट्रस्टी के पद से हटा सकता है ।
 - 3- यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वयं करेगा ।

हीरामिथ्याध्व

4- यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्ही विषयो पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

5- यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वाकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । उस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा ।

(5) अध्यक्ष मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाएँ -

1- यह कि अध्यक्ष / ट्रस्टी द्वारा विभिन्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी । इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का निर्णय की अन्तिम रूप से मान्य होगा ।

2- यह कि ट्रस्टी / अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय / भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगाना है तो ट्रस्टी /अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा । ट्रस्ट इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा ।

6 - कार्यक्षेत्र

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है अथवा सहायता व राय दे सकता है ।

7- मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का विशेषाधिकार -

मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी / कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त / स्वीकृत / अस्वीकृत संशोधित कर दे । मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो भी सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा ।

8- सचिव / उपसचिवों की नियुक्ति -

1 - यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा ।

2 - यह कि सचिव / उपसचिव के वेतन भत्ते सुविधायें, कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे ।

3 - यह कि उक्त सचिव / उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे । मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष किसी भी समय बिना कारण बताये उक्त पदों को कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक / अनुशासनात्मक / प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित / प्रदान कर सकता है ।

हीरासिंहयादव

9 - उपाध्यक्ष की नियुक्ति -

1- मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा ।

2 - यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते सुविधायें कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे ।

3- यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी/ अध्यक्ष के अनुग्रह तक प्रसाद पर्यन्त कार्य करेंगे । मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना किसी को कोई कारण बताए उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित प्रदान कर सकता है ।

10) अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

यह कि ट्रस्ट के डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे -

क- बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना ।

ख- ट्रस्ट के सभी कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के उपाध्यक्ष सचिव उपसचिवों की नियुक्ति करना ।

ग- इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो की रजिस्ट्रार के यहा रजिस्ट्रीयकृत होने की दिनांक से मान्य होगा ।

11) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य-

अध्यक्ष/ट्रस्टी अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषयों पर विचार विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता ।

12) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है , ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं ।

1- ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना है ।

2- ट्रस्ट के अन्तरगत होने वाले सभी क्रियाकलापों एवं दिन प्रतिदिन गतिविधियों पर नियंत्रण करना ।

3- ट्रस्ट के अन्तरगत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिय कार्यवाही कर सकना ।

4- विभिन्न कार्यकलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु गोष्ठों/विभागों केंद्रों /संस्थाओं /उपसंस्थाओं का गठन कर सकना तथा उनके संयोजकों/निर्देशकों पदाधिकारियों आदि का संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/ उपनियम बना सकना ।

5- ट्रस्ट संख्या को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच निर्णायक नियुक्त कर सकना ।
6- एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उसका कार्य विभाजन कर सकना ।

7- प्रचार / प्रसार / मुद्रण / प्रकाशन / वितरण / विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना ।

8- जन सामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन कर सकना ।

13) उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य -

1- सचिव की अनुपस्थिति में उसके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना ।

2- सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों / कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है ।

3- सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार / कर्तव्यों का पालन करना ।

(14) बैंक एकाउण्ट करना -

1- ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है ।

2- ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान / केन्द्र / कार्यक्रम ईकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है इस स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत बैंक खाता खोला जा सकता है अथवा संचालित किया जा सकता है ।

(15) विधिक कार्यवाही -

यदि संस्था / ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्त एवं विभिन्न न्यायालयों पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है ।

(16) सम्पत्ति सम्बन्धी -

1- ट्रस्ट चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकृत रखता है जो कि एक नागरिक / व्यक्ति को प्राप्त होते हैं ।

2- ट्रस्ट की ओर से चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने / लेख विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है ।

3- ट्रस्ट का अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल / अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है ।

4- ट्रस्ट चल / अचल सम्पत्ति क्रय-विक्रय कर सकता है रेहन रख सकता है किराये पर दे सकता है अथवा ले सकता है ।

5- ट्रस्ट किसी से ऋण दान उपहार आग्रह भेट सम्मान पुरस्कार स्मृति चिन्ह मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है ।

हीरसिंहपाद

6- ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है ।
7 - चल-अचल सम्पत्ति की प्रतियभूति भाड़ा क्रय अनुज्ञप्ति बन्धक भरित गिरवी विभाजित आदिकर सकता है / ले सकता है दे सकता है ।

17- विशेष

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित / कार्यरत किसी भी विद्यालय / महाविद्यालय / कार्यक्रम / इकाई / कार्यालय / संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम / उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट शिवशक्ति फाउंडेशन के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम / उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शुन्य होंगें ।

(ख) अध्यक्ष / ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी / किन्हीं परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी / किन्हीं प्राविधान / प्राविधानों को शिथिल कर सकते हैं तथा प्राविधान / प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते हैं । इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक व्यवस्था ही अन्तिम होगी । इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कहीं भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं जा सकेगी । शिवशक्ति फाउंडेशन की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित शिवशक्ति फाउंडेशन के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियमित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से कार्यान्वित की जाती है कि उक्त न्यास विलेख को पढकर एवं समझकर व्यवहार में लाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये ।

साक्षीगण

1. नाम श्रीवधारी S/O रघुनाथ ग्राम - नसीरुवा
पता पो. डोलीवा प. संदुवा जिला गजपट्टी

2. नाम विरेन्द्रप्रसाद S/O श्रीमन्नाथ पाठक (संस्थापक / अध्यक्ष)
पता पो. संदुवा
महकमल पो. संदुवा जिला गजपट्टी






दिनांक






मसविदाकर्ता

शिवशक्ति फाउंडेशन
पो. संदुवा
आ. 3 सं. 20, 671/2
दि 9/1/2012

हीरासिंह यादव

भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 32(1) के अन्तर्गत निष्पादनकर्ताओं की अंगुलियों के सुस्पष्ट चिन्ह -

नाम निष्पादनकर्ता / विक्रेता / क्रेता दाहिने हाथ वीरासिंहयादव				
				
अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बायें हाथ का -				

				
अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
हस्ताक्षर - वीरासिंहयादव				

नाम निष्पादनकर्ता / विक्रेता / क्रेता दाहिने हाथ				
अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
बायें हाथ का -				

अंगुष्ठ	तर्जनी	मध्यमा	अनामिका	कनिष्ठा
हस्ताक्षर -				